रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112024-258411
CG-DL-E-01112024-258411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 881] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2024/कार्तिक 10, 1946
No. 881] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2024/KARTIKA 10, 1946

पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2024

नं.एनईआईजीआर-ई.III/5/2022/पीटी-II.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग में **फ़ार्मासिस्ट** के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** –इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग शिक्षण सकाय ग्रुप 'सी' पद भर्ती संशोधन नियम, 2024 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों की उपबंध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जंजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
फ़ार्मासिस्ट	11* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 05	लागू नहीं	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
<u>आवश्यक:</u> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा (डी.फार्मा) या बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्मा) या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी (फार्मा.डी) की डिग्री प्राप्त की हो। 2. फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत फार्मासिस्ट होना चाहिए।	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (एनई)/अनुभाग अधिकारी (एनई) – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी), शिलांग के प्रतिनिधि (अवर सचिव के पद से नीचे नहीं) - सदस्य 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

प्रो. नलिन मेहता, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./639/2024-25]

NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES, SHILLONG

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September 2024

No. NEIGR-E.III/5/2022/Pt-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Pharmacist**, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong, namely**:**-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong Group – C post Recruitment amendment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in Pay Matrix** –The number of the said post, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc**. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** – No person,

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

5. **Power to Relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, Persons with Disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of post**	**Classification**	**Level in the Pay Matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Pharmacist	11* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 05 of Pay Matrix	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods**
7	**8**	**9**	**10**
Essential: 1. Diploma in Pharmacy (D.Pharm) or Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) or Doctor of Pharmacy (Pharm.D) from a recognized University/Institution. 2. Should be a registered Pharmacist under Pharmacy Act 1948	Not applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	**If a Selection Committee/Departmental Promotion Committee exists what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
11	**12**	**13**
Not applicable	1. Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Prof. NALIN MEHTA, Director

[ADVT.-III/4/Exty./639/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2024.11.01 21:37:33 +05'30'